न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2018

अनवान :

1. ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दयाराम पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरी पुत्री शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के मौरूशाला नानू वल्द सेवाराम की रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 19 के खसरा सं0 32 की 43 किला बारानी, आथूणिया, खसरा सं0 66 की 19 किला 19 बिस्वा बारानी, टिबावाला, खसरा सं0 199 की 12 किला नं0 19 बिस्वा बारानी खाड़ी, खसरा सं0 214 की 13 किला 15 बिस्वा बारानी कांकड़वा के कुल खसरा सं0 4 की 89 किला 13 बिस्वा बारानी खातेदारी आराजी हुआ करती थी।

करीब 25 वर्ष पूर्व वादी के दादा नानू की मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के बाद वादी के दादा के नाम आराजी कृषि भूमि उसके परिजनों के नाम से कर्ताखानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं0 1 से 1/5 हिस्सा दर्ज हो गई। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग की है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरी छोटी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी खाता सं0 43/42 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी के दादा नानू की मृत्यु हो चुकी है उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों के नाम से कर्ताखानदान होने के कारण औद हो गई और प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम जिगासरीछोटी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरी छोटी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है उसमें कृषि भूमि वादी के दादा नानु वल्द सेवाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में शिशपाल के वारिसान में पत्नी ज्यानी, दो पुत्र ओमप्रकाश व दयाराम व एक पुत्री भंवरी होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 32 की 10.8760 है0 बारानी, खसरा सं0 66 की 5.0460 है0 बारानी, खसरा सं0 199 की 3.2750 है0 बारानी, खसरा सं0 214 की 3.4780 है0 बारानी कुल खसरा सं0 4 की 22.6750 है0 बारानी आराजी में प्रतिवादी सं0 1 शिशपाल के नाम 1/5 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए वादभूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...19.6.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2018

अनवान :

1. ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. शिशपाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दयाराम पुत्र शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. भंवरी पुत्री शिशपाल जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. एस.बी.बी.जे. शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 32 की 10.8760 है0 बारानी, खसरा सं0 66 की 5.0460 है0 बारानी, खसरा सं0 199 की 3.2750 है0 बारानी, खसरा सं0 214 की 3.4780 है0 बारानी कुल खसरा सं0 4 की 22.6750 है0 बारानी आराजी में प्रतिवादी सं0 1 शिशपाल के नाम 1/5 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए वादभूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19:6:18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़